# अनुदान संख्या 27 – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
# GRANT No. 27 - MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

| | | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 2594,67,00 | 2683,44,00 | 2578,19,70 | - 105,24,30 |
| पूरक | Supplementary | 88,77,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 75,27,48 |
| **पूंजीगतः** | **Capital:** | | | | |
| *प्रभारित–* | *Charged-* | | *49,00* | *48,56* | *-44* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | *शून्य Nil* |
| स्वीकृत– | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 88,75,00 | 88,76,00 | 45,18,61 | - 43,57,39 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 41,32,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹10524.30 लाख) जुलाई, 2018, दिसंबर, 2018 और फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹8877.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और ये कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹10524.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹8877.00 lakhs obtained in July, 2018, December, 2018 and February, 2019 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2406" | Major Head "2406" | | | | |
| वानिकी तथा वन्य जीव | Forestry and Wild Life | | | | |
| मू. | O. | 56735.00 | | | |
| पू. | S. | 8874.00 | 67808.25 | 67103.37 | -704.88 |
| पु. | R. | 2199.25 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| पूर्वोत्तर क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 16360.00 | | | |
| | | | 0.54 | .. | -0.54 |
| पु. | R. | -16359.46 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3435" | Major Head "3435" | | | | |
| पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण | Ecology and Environment | | | | |
| मू. | O. | 86134.00 | | | |
| पू. | S. | 3.00 | 84497.35 | 82800.85 | -1696.50 |
| पु. | R. | -1639.65 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" | Major Head "3601" | | | | |
| राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 86964.00 | | | |
| | | | 94163.54 | 94093.19 | -70.35 |
| पु. | R. | 7199.54 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3602" | Major Head "3602" | | | | |
| विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान | Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature | | | | |
| मू. | O. | 157.00 | | | |
| | | | 649.84 | 642.81 | -7.03 |
| पु. | R. | 492.84 | | | |

(I) ₹26360.00 लाख का प्रावधान (₹5000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) दस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹25860.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2406" – "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय क्षतिपूर्ति वनरोपण – राष्ट्रीय प्राधिकरण" – ₹5000.00 लाख का पूरक अनुदान – राष्ट्रीय प्राधिकरण बनाए जाने की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "वनरोपण और पारिस्थितिकी विकास – राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम – राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹4000.00 लाख।

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – वन्य जीवों के आवासों का एकीकृत विकास" – ₹5800.00 लाख;

(ग) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन – संरक्षण कार्यक्रम – प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण" – ₹660.00 लाख;

(घ) "वानिकी – शिक्षा और प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹1900.00 लाख।

(ङ) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – राष्ट्रीय नदियों का प्रदूषण निवारण – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹1700.00 लाख;

(च) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकीय पुनरुद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" –

(I) Provision of ₹26360.00 lakhs (including supplementary grant of ₹5000.00 lakhs) remained wholly unutilized under ten heads; of these ₹25860.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2406" - "Afforestation and Ecology Development - National Compensatory Afforestation (NCA) - National Authority" - supplementary provision of ₹5000.00 lakhs - due to non-completion of process of formation of National Authority.

(B) Major Head "2552" -

(a) "Afforestation and Ecology Development - National Afforestation and Ecology Development Programme- National Mission for a Green India"- ₹4000.00 lakhs;

(b) "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wild Life Habitats"- ₹5800.00 lakhs;

(c) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Conservation Programmes - Conservation of Natural Resources and Ecosystem"- ₹660.00 lakhs;

(d) "Forestry - Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹1900.00 lakhs;

(e) "Prevention and Control of Pollution- Prevention of Pollution of National Rivers - National River Conservation Programme" - ₹1700.00 lakhs;

(f) "Environmental Research and Ecological Regeneration-Climate Change Action Programme - Environment Protection,

₹1700.00 लाख; और

(छ) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थिकीय पुनरुद्भवन – पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय – पर्यावरणीय जागरुकता, नीति, आयोजना तथा निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायक प्रणाली" – ₹600.00 लाख।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(गा) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹4500.00 लाख – राज्य सरकार द्वारा पुणे नगर निगम को केन्द्रीय निधियां जारी न करने तथा पुणे में मूला मुथा परियोजनाओं की धीमी प्रगति के कारण।

(II) मुख्य शीर्ष "2406" – "पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीव – वन्य जीव परिरक्षण – सांविधिक तथा नियामक निकाय" – ₹3330.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹3430.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹265.45 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध होने तथा ब्रीडिंग कार्यक्रमों के बचाव और पुनर्वास केन्द्र के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "3435" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(का) "सर्वेक्षण (वानस्पतिक) – निदेशन और प्रशासन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹1690.95 लाख की बचत (₹20630.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने, गंगटोक में क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निर्माण कार्य के पूरा न होने, विदेशी दौरों को

Management and Sustainable Development" - ₹1700.00 lakhs; and

(g) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Environmental Planning and Coordination - Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation"- ₹600.00 lakhs.

Provisions under the above seven heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(C) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - National River Conservation Programme" - ₹4500.00 lakhs - due to non-release of central funds by State Government to Pune Municipal Corporation and slow progress of Mula Mutha Projects at Pune.

(II) Under Major Head "2406" - "Environmental Forestry and Wild Life - Wild Life Preservation - Statutory and Regulatory Bodies" - the original provision of ₹3330.00 lakhs was augmented to ₹3430.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹100.00 lakhs. However, there was a saving of ₹265.45 lakhs (including supplementary grant) - due to availability of unspent balance of previous year and requirement of less funds towards rescue and rehabilitation centre Breeding Programmes.

(III) Under Major Head "3435" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Survey (Botanical) - Direction and Administration - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹1690.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20630.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-completion of construction

अनुमोदन न मिलने, निविदा रद्द किए जाने के कारण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लघु निर्माण कार्य पूरा न किए जाने तथा पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता के कारण हुई।

work of Regional Museum of Natural History at Gangtok, non-approval of foreign tours, non-completion of minor works by Central Public Works Department owing to cancellation of tender and availability of unspent balance of previous year.

(खा) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन – पर्यावरणीय आयोजना तथा समन्वय – पर्यावरणीय जागरुकता, नीति, आयोजना तथा निष्कर्ष मूल्यांकन के लिए निर्णय सहायक प्रणाली" – ₹529.56 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹11171.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्कजीआईएस सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति न होने तथा उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

(B) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Environmental Planning and Coordination- Decision Support System for Environmental Awareness, Policy, Planning and Outcome Evaluation" - saving of ₹529.56 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹11171.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-procurement of ArcGIS software and non-receipt of utilisation certificates.

(गा) "प्रदूषण निवारण और नियंत्रण – प्रभाव मूल्यांकन – राष्ट्रीय तटीय प्रबंधन कार्यक्रम" – ₹2993.92 लाख की बचत (₹15700.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उड़ीसा और गुजरात में दो मुख्य कार्यकलापों की बोलियां विफल होने के कारण हुई।

(C) "Prevention and Control of Pollution - Impact Assessment - National Coastal Management Programme" - saving of ₹2993.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15700.00 lakhs) was due to failing of bids of two major activities at Odisha and Gujarat.

(IV) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं – केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹768.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय परियोजना विभाजन समिति द्वारा सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लिए सुरक्षित हिमालय परियोजना को अनुमोदन न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes - Externally Aided Projects - Grants for Centrally Sponsored Schemes - Integrated Development of Wildlife Habitats" - saving of ₹768.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to non-approval of Secure Himalaya Project (EAP) from Sikkim, Jammu and Kashmir by National Project Sharing Committee.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹676.91 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और कुल स्वीकृत प्रावदान का 69 प्रतिशत और 75 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of ₹676.91 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 69 percent and 75 percent of the total sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10090.34 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3876.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2.(I) The above savings were partly (₹10090.34 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹3876.00 lakhs - under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2406" –

(क) "वानिकी" –

(i) "शिक्षा तथा प्रशिक्षण – पर्यावरणीय ज्ञान और क्षमता निर्माण" – ₹5476.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹5413.09 लाख था।

(ii) "अनुसंधान – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹998.00 लाख।

(ख) "पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव – वन्य जीव संरक्षण – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹768.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹750.29 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष "3435" –

(क) "पर्यावरणीय अनुसंधान और पारिस्थितिकी पुनरुद्भवन – जलवायु परिवर्तन कार्रवाई कार्यक्रम – पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन तथा सतत विकास" – ₹907.34 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय, ₹762.26 लाख था।

(ख) "प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण – वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण" –

(i) "सांविधिक तथा नियामक निकाय" – ₹1442.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹1342.00 लाख था।

(ii) "प्रदूषण नियंत्रण" – ₹499.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹494.02 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईः–

(A) Major Head "2406" -

(a) "Forestry"-

(i) "Education and Training - Environmental Knowledge and Capacity Building" - ₹5476.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹5413.09 lakhs.

(ii) "Research - Assistance to Autonomous Bodies" - ₹998.00 lakhs.

(b) "Environmental Forestry and Wildlife - Wild Life Preservation - Integrated Development of Wildlife Habitats" - ₹768.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹750.29 lakhs.

(B) Major Head "3435" -

(a) "Environmental Research and Ecological Regeneration - Climate Change Action Programme - Environment Protection, Management and Sustainable Development" - ₹907.34 lakhs. Actual excess, however, was ₹762.26 lakhs.

(b) "Prevention and Control of Pollution - Prevention of air and water pollution" -

(i) "Statutory and Regulatory Bodies" - ₹1442.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1342.00 lakhs.

(ii) "Control of Pollution" - ₹499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹494.02 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "3601" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें" –

(क) "केन्द्रीय सहायता/हिस्सा" –

(i) "राष्ट्रीय हरित भारत मिशन" – ₹5541.86 लाख का अधिक व्यय (₹13250.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों से अतिरिक्त प्रस्ताव न मिलने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1286.74 लाख का अधिक व्यय (₹41573.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(iii) "प्राकृतिक संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण" – ₹624.89 लाख का अधिक व्यय (₹5906.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(iv) "राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम" – ₹3700.00 लाख का अधिक व्यय (₹9600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) परियोजना प्रबंधन परामर्शदायी सेवाओं, सबरीमाला नदी निर्माण परियोजना चरण–II के प्रदूषण नियंत्रण कार्य के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को

(A) Major Head "3601" - "Centrally Sponsored Schemes" -

(a) "Central Assistance/Share" -

(i) "National Mission for a Green India" - excess of ₹5541.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13250.00 lakhs) was due to receipt of additional proposals from Odisha, Rajasthan and State Government of Madhya Pradesh and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹1286.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹41573.00 lakhs); and

(iii) "Conservation of Natural Resources and Ecosystems"- excess of ₹624.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5906.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(iv) "National River Conservation Programme" - excess of ₹3700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9600.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Project Management Consultancy Services, pollution abatement work of Sabrimala River Construction Project Phase-II and re-appropriation of funds from Major

किए जाने के कारण हुआ।

Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ख) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹1307.30 लाख का अधिक व्यय (₹2835.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्रों से जनजातीय परिवारों का पुनर्वास किए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(b) "Tribal Area Sub-Plan - Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹1307.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2835.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards relocation of tribal families from core area of Tiger Reserves.

(खा) मुख्य शीर्ष "3602" – "केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – वन्य जीव आवासों का एकीकृत विकास" – ₹535.97 लाख का अधिक व्यय (₹7.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बंदरों के खतरे से निपटने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "3602" - "Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Integrated Development of Wildlife Habitats" - excess of ₹535.97 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards monkey menace in compliance of the order of Hon'ble Delhi High Court.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹319.60 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो स्वीकृत प्रावधान का 64 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹319.60 lakhs occurred constituting 64 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "4406" वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4406" Capital Outlay on Forestry and Wild Life | | | | |
| मू. | O. | 3345.00 | 1567.00 | 1510.32 | -56.68 |
| पु. | R. | -1778.00 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "5425" अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5425" Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research | | | | |
| मू. | O. | 5530.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 3177.00 | 3008.29 | -168.71 |
| पु. | R. | -2354.00 | | | |

(I) मुख्य शीर्ष "4406" – "वानिकी – संचार और भवन – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – के अंतर्गत ₹1834.68 लाख की बचत (₹3345.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम स्वीकृतियां प्राप्त होने/प्रस्तावों को मूर्त रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(I) Under Major Head "4406" - "Forestry - Communication and Buildings - Attached/ Subordinate Offices"- saving of ₹1834.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3345.00 lakhs) was due to receipt of less sanctions/non-materialisation of proposals.

(II) मुख्य शीर्ष "5425" – "पारिस्थितिकी और पर्यावरण – संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय" – ₹2522.71 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹5531.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भोपाल तथा पुणे में एनजीटी की पीठों के लिए भूमि और भवन का अधिग्रहण न किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5425" - "Ecology and Environment - Attached/Subordinate Offices" - saving of ₹2522.71 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹5531.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) was due to non-acquisition of land and building for benches of NGT at Bhopal and Pune.